वित्त मंत्रालय

डीआरआई ने डीजल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया; 14 कंटेनर डीजल जब्त एवं सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत मास्टरमाइंड और एक हवाला ऑपरेटर सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

प्रविष्टि तिथि: 21 अप्रैल, 2018 10:50am बजे by PIB Delhi

आंध्र प्रदेश (आं.प्र.) राज्य आसूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट के आधार पर, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), हैदराबाद ने खुफिया जानकारी विकसित की है जो दर्शाती है कि काकीनाडा और चेन्नई स्थित कुछ संचालकों द्वारा मिनरल स्पिरिट की आड़ में भारत में डीजल की तस्करी की जा रही है। उक्त डीजल को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में अवैध विक्रय हेतु चेन्नई बंदरगाह पर कंटेनरों के माध्यम से नियमित आधार पर भारी मात्रा में दुबई से लाया जा रहा है।

तदनुसार, 17 अप्रैल 2018 से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के विभिन्न स्थानों पर आंध्र प्रदेश राज्य आसूचना के सक्रिय सहयोग से राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई), हैदराबाद और चेन्नई के अधिकारियों द्वारा एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया।

चेन्नई में दो कंटेनर फ्रेट स्टेशनों पर की गई तलाशी से पता चला कि मेसर्स एसएएफ पेट्रोलियम और मेसर्स आदित्य मरीन के नाम पर चेन्नई बंदरगाह पर आयातित 14 कंटेनर सैन्को सीएफएस, चेन्नई और गेटवे सीएफएस, चेन्नई में उतरे, जहां माल को मिनरल स्पिरिट घोषित किया गया था। इन कंटेनरों में वास्तव में 263.78 मीट्रिक टन (लगभग 3 लाख लीटर) डीजल पाया गया। पूछताछ करने पर संचालकों ने यह बात स्वीकार की और रासायनिक जांच में इसकी पुष्टि भी हुई। काकीनाडा और चेन्नई में संचालकों /आयातकों, क्लियरिंग एजेंटों, परिवहन ब्रोकर, पर्यवेक्षक, हवाला संचालकों आदि से संबंधित 12 स्थानों पर एक साथ तलाशी ली गई।

विदेश व्यापार नीति के अनुसार डीजल आयात हेतु एक प्रतिबंधित वस्तु है और इसे केवल आईओसी एवं अन्य तेल विपणन कंपनियों द्वारा आयात करने की अनुमति है जो पेट्रोलियम मंत्रालय के संकल्प संख्या पी-23015/1/2001-मार्केट की आवश्यकता को पूरा करते हैं तथा दूसरों को आयात करने की अनुमति नहीं है। उक्त प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए, काकीनाडा स्थित डीजल तस्करी के संचालकों ने एक योजना बनाई और 'मिनरल स्पिरिट' की आड़ में 'डीजल' की तस्करी शुरू कर दी। उन्होंने न केवल उक्त प्रतिबंधित वस्तु का आयात किया, बल्कि वास्तविक मूल्य का लगभग 40% कम मूल्य भी घोषित किया, जिससे उक्त प्रेषण पर सीमा शुल्क की चोरी हुई। उक्त तस्करी एवं वितरण की सुविधा हेतु संचालकों के पास काकीनाडा में कार्यालय, मरैमलाई नगर, चेन्नई में भंडारण यार्ड और गिंडी, चेन्नई में एक कार्यालय मोर्चा है। काकीनाडा के एक संचालक का रिश्तेदार लॉजिस्टिक्स की देखभाल कर रहा था, इसके आलवे चेन्नई, काकीनाडा, ओंगोल और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में डीजल को ग्रे मार्केट में ले जा रहा था। दुबई में फर्जी दस्तावेज तथा चालान बनाकर डीजल खरीदने और उसे चेन्नई में आयात करने हेतु डमी कंपनियां खोली गईं। कीमत के अंतर को हवाला चैनलों के माध्यम से भुगतान द्वारा समायोजित किया जा रहा था। यह पाया गया है कि अतीत में इन संचालकों ने लगभग 17.7 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 5366 मीट्रिक टन (63 लाख लीटर लगभग) डीजल की तस्करी की है, जो लगभग 285 कंटेनरों में आता है।

चूंकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के प्रावधानों का उल्लंघन कर भारत में डीजल की तस्करी की गई है, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य वाले डीजल के 14 कंटेनरों को जब्त कर लिया गया है। मास्टरमाइंड तथा एक हवाला संचालक सहित 4 व्यक्तियों को जब्त कर लिया गया है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच जारी है।